RAISING HEALTH FOR ALL

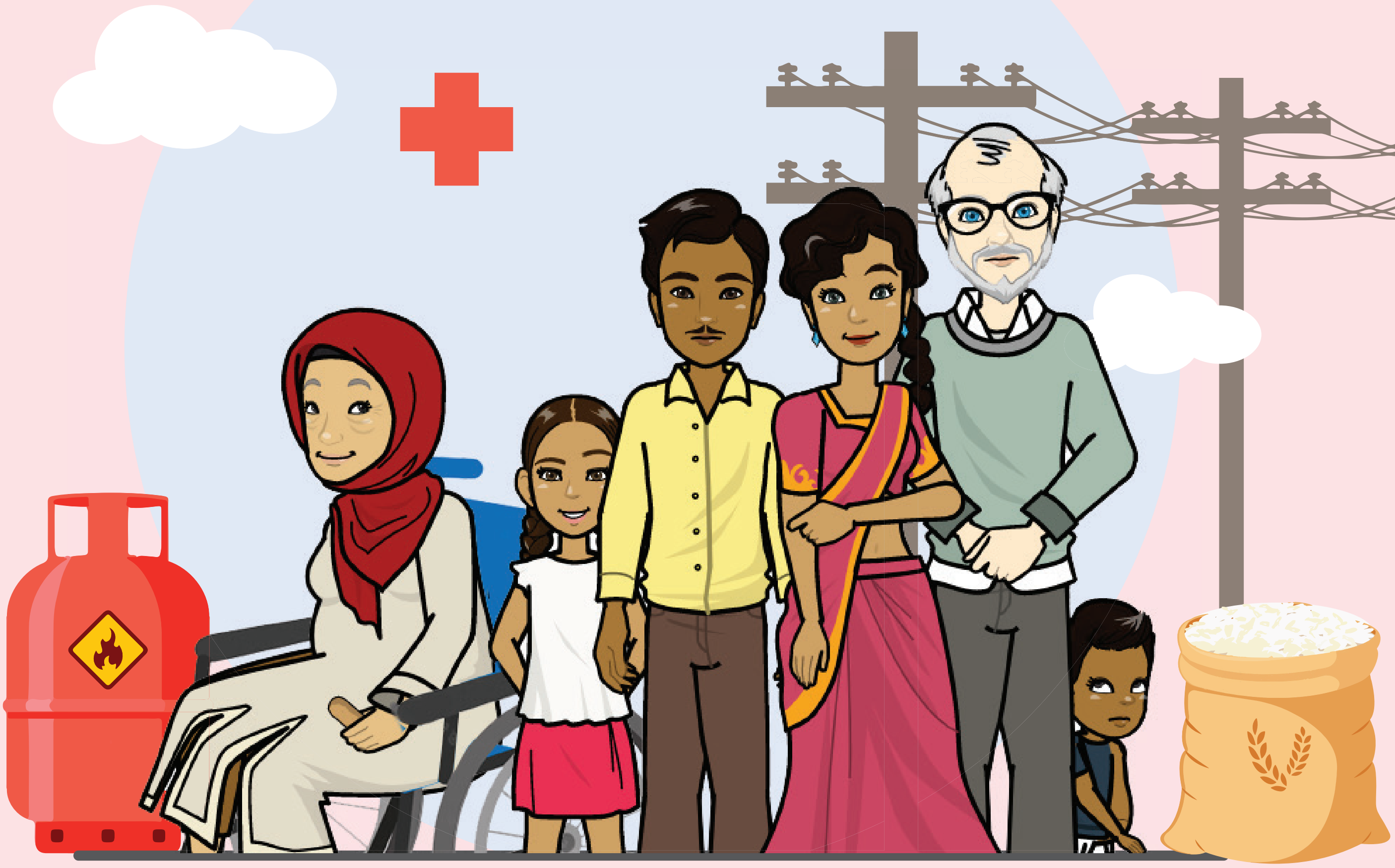

सरकारी योजनाओं पर पुस्तिका

नवम्बर 2022

अनुक्रमणिका

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)	03
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	05
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	07
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)	08
जननी सुरक्षा योजना (JSY)	09
मनोधैर्य योजना	11
प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना	12
निराधार योजना	13
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)	15
सुकन्या समृद्धि योजना	23

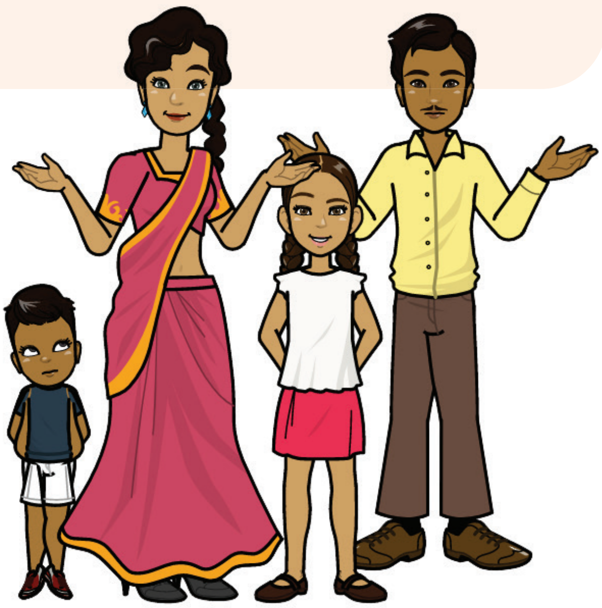

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

योजना के लाभ

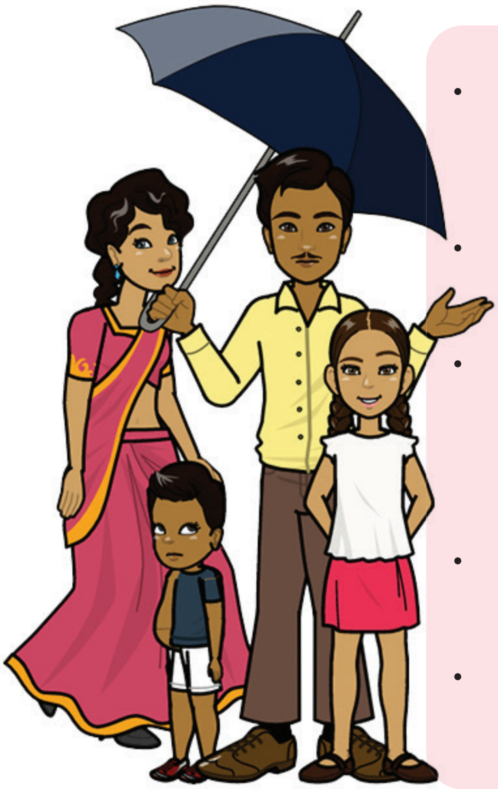

- इस योजना के माध्यम से सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पताल में उपचार के चलते कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस बीमा की निधि से पात्र परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख (Rs. 5,00,000/-) रुपये तक का उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी।
- योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या, लिंग या उम्र का प्रतिबन्ध नहीं है।
- सेवाओं में उपचार से संबंधित लगभग 1,393 प्रक्रियाएं शामिल हैं जिन में अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले तक का, और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा (दवाइयाँ, चिकित्सा की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ऑपेरशन थिएटर और आईसीयू शुल्क आदि) शामिल हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी, OPD) खर्च, नशामुक्ती, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रजनन उपचार, अंग प्रत्यारोपण इसमें शामिल नहीं है।

पात्र निकष

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के आधार पर चुने गए लाभार्थी परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। योजना के लिए आप की पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए:

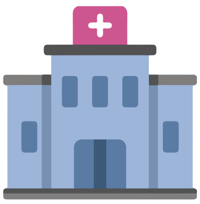

नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सी एस सी) पर या किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर जांच करें

या

14555 या 1800-111-565 पर संपर्क करें

या

योजना की वेबसाइट (www.pmjay.gov.in/) पर जांच करें

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थियों को **आयुष्मान भारत योजना गोल्डन कार्ड** जारी किया जाएगा। पैनल में शामिल अस्पताल में उपचार का लाभ उठाते समय यह कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह PMJAY गोल्डन कार्ड प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को **वेबसाइट पर फॉर्म** भरना होगा

या

आयुष्मान भारत योजना ग्राहक सेवा से **1800-111-565** या **14555** पर संपर्क करना होगा

या

आवेदक किसी भी **स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता** (ई एच सी पी) तक या **कॉमन सर्विस सेंटर** (सी एस सी) को संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

- परिवार के सभी लोगों के आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर

ऑफिशिअल वेबसाइट

https://pmjay.gov.in/

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

योजना के लाभ

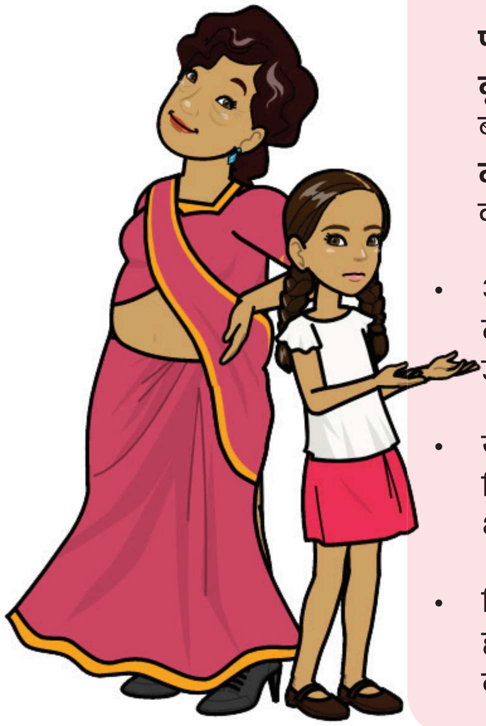

- इस योजना के अंतर्गत नगदी 5000 रुपये (Rs. 5,000/-) गर्भवती और स्तनपान करानेवाली महिलाओं के बैंक खाते में पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान जमा होते है। यह तीन किश्तों में दिए जाते हैं।

  पहली किश्त: 1000 रुपये - गर्भावस्था के पंजीकरण के समय

  दूसरी किश्त: 2000 रुपये - यदि लाभार्थी छः महीने के गर्भावस्था के बाद कम से कम एक बार प्रसूतिपूर्व जांच करा लेते हैं तो

  तीसरी किश्त: 2000 रुपये - जब बच्चे का पंजीकरण हो जाता है और जन्म के बाद बच्चे को बीसीजी, पोलियो, डीपीटी और हेपिटाइटिस बी का टीकाकरण चालू होता है तब।

- अगर महिला का पहले तीन महीने में गर्भपात होता है और वह दूसरी बार गर्भवती होती है तो उसे पहली किश्त नहीं मिलेगी लेकिन पात्रता के मानदंड एवं शर्तों के पूर्ती के अधीन उसे बाकी की किश्तें मिलेगी।

- यदि पहली और दूसरी किश्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है या मृत शिशु का जन्म होता है तो वह पात्रता के मानदंड एवं योजना की शर्तों के पूर्ती के अधीन भावी गर्भधारणा की स्थिति में तीसरी किश्त प्राप्त करने लिए के पात्र होगी।

- शिशु मृत्यु के मामले में, लाभार्थी योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी, यदि उसने पहले से ही इस योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की सभी किश्तें प्राप्त कर ली हैं।

पात्र निकष

जो महिलाएँ केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमं के साथ जुड़ कर नियमित रोजगार कमा रही हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं उन्हें छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करानेवाली माताएँ।

सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान करानेवाली माताएँ जो परिवार में पहले बच्चे के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भवती हुई हैं।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कराया जा सकता है। इसमें आशा कार्यकर्ता मदद करती हैं। आवेदन पत्र **आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य** सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

1. पंजीकरण एलएमपी के **150 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए।
2. गर्भविस्था के **180 दिनों के बाद दूसरी किश्त** का दावा आंगनवाड़ी/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में विधिवत भरे हुए **फॉर्म 1 बी** के साथ कर सकती है।
3. लाभार्थी गर्भधारण के अधिकतम **730 दन के अंदर** आवेदन कर सकती है, भले ही उस ने पहले किसी किश्त के लिए दावा न किया हो परंतु वह पात्रता के मानदंड एवं योजना की शर्तों के पूर्ती करती हो। जहाँ एमसीपी कार्ड में एलएमपी तिथि दर्ज नहीं है तो ऐसे मामले में दावा बच्चे के जनम की तिथि से **460 दिन के अंदर** करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़:

- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
- एमसीपी कार्ड (स्वास्थ्य काड) की प्रति
- पहचान प्रमाण की प्रति
- बैंक/डाकघर खाता पासबुक की प्रति
- आवेदक और उसके पति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन पत्र/सहमति
- लाभार्थी एवं उसके पती के आधार कार्ड की एक प्रति (जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में)
- चरण 2 के लिए: कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) दिखाने वाले एमसीपी कार्ड की एक प्रति → पंजीकरण की पावती
- चरण 3 के लिए: बच्चे के जन्म पंजीकरण → एमसीपी कार्ड की एक प्रति जिसमें दिखाया गया हो कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी, सीजी, ओपीवी, डीपीटी के टीकाकरण का पहला चक्र मिला है

ऑफिशिअल वेबसाइट

https://wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

योजना के लाभ

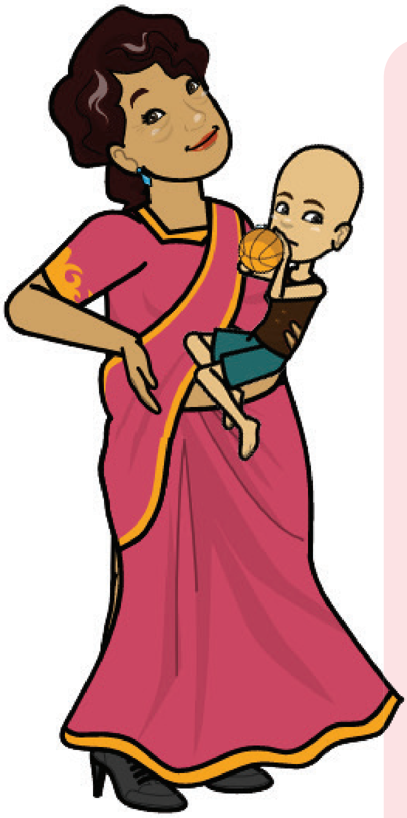

- आवश्यकतानुसार सिझेरियन या नॉर्मल प्रसूति निशुल्क की जाती है।
- गर्भवती माता की प्रसूतिपूर्व, प्रसूतिदौरान और प्रसूतिपश्चात् छह हफ्ते तक अत्यंत जरूरी चिकित्सा और एक साल से कम के बीमार शिशु की आवश्यकतानुसार सेहत की जांच, सही उपचार और देखभाल की जाती है।
- प्रसूतिपूर्व , प्रसूतिदौरान और प्रसूतिपश्चात् छह हफ्ते तक गर्भवती महिलाओं को दवाइयाँ और उपभोग्य वस्तुएं नि:शुल्क दी जाती हैं।
- नॉर्मल प्रसूति के तीन दिन बाद तक और सिझेरियन प्रसूति के सात दिन बाद तक निशुल्क भोजन दिया जाता है। इसी दौरान माता को स्तनपान, आहार और टीकाकरन की पूरी जानकारी दी जाती है।
- ज्यादा गंभीर या जटिल प्रसूति के दौरान आवश्यकतानुसार निशुल्क खून का इंतजाम किया जाता है। घर से स्वास्थ्य सुविधा तक और वापस, तथा एक सुविधसे दूसरी सुविधा ने रेफ़ेर् की जाने की स्थिति में जरूरत के हिसाब से वाहन कि सुविधा भी दी जाती है। इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचने वाले सभी बीमार नवजात शिशुओं (एक वर्ष की आयु तक) के लिए भी इसी तरह की प्रावधान किया गया है।

पात्र निकष

सभी गर्भवती माता और एक साल से कम उम्र के बीमार शिशु नजदिकी सरकारी अस्पताल या आरोग्य केंद्र मे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

माँ और पिता का आधार कार्ड, अस्पताल के पुरे पेपर (कागजाद)

सेवा देनेवाली आरोग्य संस्थाये

सभी आरोग्य केंद्र, माता व बाल शासकीय रुग्णालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज या अन्य सरकारी रुग्णालय जहाँ पर गर्भवती माता और शिशु कि देखभाल की जाती है।

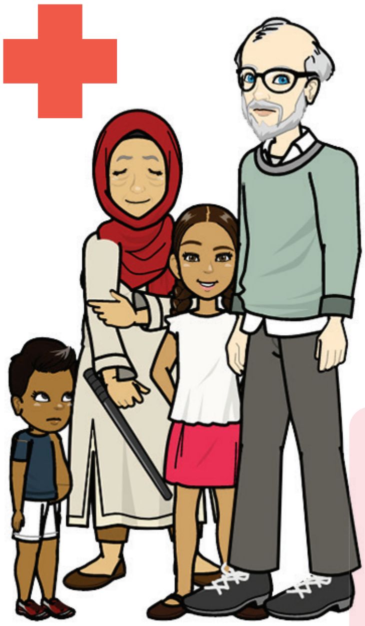

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)

योजना के लाभ

- यह योजना लाभार्थी के अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित सभी खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 1,50,000/- प्रति परिवार प्रति पॉलिसी वर्ष तक कवरेज प्रदान करती है। गुर्दा प्रत्यारोपण (रेनल ट्रांसप्लांट) के लिए इस सीमा को प्रति परिवार प्रति पॉलिसी वर्ष 2,50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह लाभ पॉलिसी वर्ष में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

पात्र निकष

श्रेणी 1: पीला, ऑरेंज, अन्तोदय और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारित सभी परिवार

श्रेणी 2: महाराष्ट्र के 14 कृषि संकटग्रस्त जिलों के सफ़ेद राशन कार्ड धारित किसान के परिवार

श्रेणी 3:

1. सरकारी अनाथालयों के बच्चे, सरकारी आश्रम शाला के छात्र, सरकारी महिला आश्रम की महिला रहिवासी और सरकारी वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिक
2. डीजीआईपीआर द्वारा अनुमोदित पत्रकार और उनके आश्रित परिवार के सदस्य
3. निर्माण श्रमिक और उनके परिवार जिनका महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण है

आवश्यक दस्तावेज़:

कोई भी फोटो आयडी सबूत +

श्रेणी 1: राशन कार्ड

या

श्रेणी 2: 7/12 उद्धारण

या

श्रेणी 3: स्टेट हेल्थ अशुरन्स सोसइटी द्वारा तय किए गए पहचान पत्र/स्वास्थ्य कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र

आवेदन कैसे करे

अस्पतालों में कार्यरत आरोग्यमित्र दस्तावेजों की जांच करेंगे और पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए मदद करेंगे। यदि प्रक्रिया एमजेपीजेएवाई लाभार्थी के लिए 996 प्रक्रियाओं में आती है, तो अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करके अस्पताल द्वारा ई-प्राधिकरण अनुरोध किया जाता है। पूर्व-प्राधिकरण स्वीकृत होने के बाद, प्रक्रिया निजी अस्पताल द्वारा 30 दिनों के भीतर और सार्वजनिक अस्पताल द्वारा 60 दिनों के भीतर की जाएगी। लाभार्थी को उपचार का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल डिस्चार्ज की तारीख से 10 दिनों तक योजना के तहत मुफ्त फ़ॉलोअप परामर्श, निदान और दवाइयाँ प्रदान करेगा।

ऑफिशिअल वेबसाइट

https://www.jeevandayee.gov.in/

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

योजना के लाभ

- लाभार्थियों को आंगनवाड़ी/ सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंजीकरण कर के कम से कम तीन प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कम प्रदर्शन करनेवाले राज्यों में (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर) ग्रामीण क्षेत्र में ₹1400 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1000 की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पर प्रदान की जाएगी।
- उच्च प्रदर्शन करनेवाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 700 तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 600 की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के प्रसव के समय पर प्रदान की जाएगी।

पात्र निकष

श्रेणी 1: कम प्रदर्शन करने वाले राज्योंसे (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर) **सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करनेवाली सभी गर्भवती महिलाएँ**।

श्रेणी 2: उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्योंसे सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करनेवाली **बीपीएल परिवारोंकी गर्भवती महिलाएँ जिनकी आयु 19 से ज्यादा हो**।

श्रेणी 3: **सभी राज्योंसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारोंकी सभी गर्भवती महिलाएँ** जो सरकारी अस्पताल में तथा मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराती है।

> ⚠ कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सभी जन्मों के लिए लाभ दिया जाता है, जब कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दो जीवित जन्मों के लिए लाभ दिया जाता है।

आवेदन कैसे करे

गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी या सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में आशा कर्मचारी के साथ संपर्क करना होगा।

→

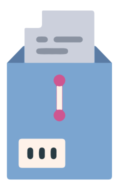

आशा कर्मचारी योजना के लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला की मदद करेगी।

आवश्यक दस्तावेज़:

- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
- प्राप्ति प्रमाणपत्र
- सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- जननी सुरक्षा योजना निर्धारित कार्ड

ऑफिशिअल वेबसाइट

Janani Suraksha Yojana: National Health Mission

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=3&sublinkid=841&lid=309

Janani Suraksha Yojana: Features & Frequently Asked Questions

https://nhm.gov.in/WriteReadData/l892s/97827133331523438951.pdf

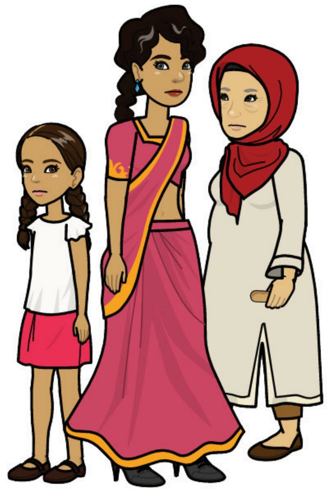

मनोधैर्य योजना

उद्देश्य

- बलात्कार,बालकों पर होनेवाले लैंगिक अत्याचार ,ऍसिड हमले दौरान पीडित व्यक्ति -महिला या बालक- इन्हे अर्थसहाय्य करना |

पात्र निकष

- बलात्कार या ऍसिड हमले से पीडित महिला या बालक इस योजना के तहत मुआवज़ा ले सकते हैं |
- घटीत घटना का FIR होना और पीडित व्यक्ति का आधार कार्ड से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरुरी है |
- इस योजना के तहत एक ही बार मुआवज़ा लिया जा सकता है |
- योजना के तहत मुआवज़े के हकदार और लाभ उठाने वाले पीड़ित राज्य में किसी अन्य योजना के तहत पीड़ित मुआवजे का लाभ नहीं उठा सकते हैं |
- मनोधैर्य योजना महाराष्ट्र सरकार ने विक्टिम कम्पेंसेशन के लिए बनाई है |
- यह महाराष्ट्र तक सिमित है| अन्य राज्यों में CRPC के तहत मुआवज़ा मिलता है |
- FIR जहां पर रजिस्टर है उस इलाके के मनोधैर्य या विक्टिम कम्पेंसेशन कमिटी के सामने ही इस मुआवज़े की छानबीन होती है |
- एक केस में अलग अलग राज्य से मुआवज़ा नहीं ले सकते |

आवश्यक दस्तावेज़:

- एफआईआर की कॉपी
- अधिकृत शासकीय /निमशासकीय संस्था के वैद्यकीय अधिकारी से मिला हुआ जांच अहवाल
- धारा 164 सीआरपीसी के तहत गवाही

आवश्यक कागजी कार्रवाई और शर्तों का पालन करने की समय अवधि राशि की मंजूरी से 3 महीने तक सीमित है। इस दौरान आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गए तो मुआवज़े की राशि राज्य के खजाने में जब्त होगी|

आवेदन कैसे करे

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विभाग, जिल्हा अधिकारी कार्यालय| (मुआवज़े के संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी एल एस ए) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) का होगा)

प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना

योजना के लाभ

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) के तहत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित किए गए हैं ताकि ब्रांडेड दवाओं के बाजार भाव की तुलना में 50% से 90% कम कीमत पर समान रूप से प्रभावी और सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना के तहत खरीदी गई सभी दवाओं का एनएबीएल (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता आश्वासन के लिए परीक्षण किया जाता है और डब्ल्यूएचओ जीएमपी (विश्व स्वास्थ्य संगठन के अच्छे विनिर्माण अभ्यास) बेंचमार्क के अनुरूप हैं।

- PMBJK की स्थापना के लिए 2.5 लाख तक का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है।इन्हें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, चैरिटेबल सोसाइटी आदि किसी भी उपयुक्त स्थान पर या अस्पताल परिसर के बाहर स्थापित कर सकते हैं।

- जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप द्वारा आप आस-पास के जनऔषधि केंद्रों का पता लगा सकते हैं, और जनऔषधि जेनेरिक दवा खोज सकते हैं।

- यह दवाइयाँ कोई भी खरीद सकता है। इस योजना का लाभ लेने लिए कोई कागजाद आवश्यक नहीं है।

ऑफिशिअल वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in/index.aspx

निराधार योजना

संजय गांधी निराधार योजना । श्रावणबाल राज्य पेंशन योजना । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

योजना के लाभ

- लाभर्थियोंको रु. 1000 बिना बच्चोंवाले विधवा लाभार्थियों को रु.1000/- प्रति माह, एक बच्चे वाले लाभार्थियों के लिए रु. 1100/- और दो या उससे अधिक बच्चे वाले लाभार्थियों के लिए रु. 1200/- प्रति माह बैंक या डाकघर में जमा किये जाते हैं।
- लाभार्थी के बच्चे 25 वर्ष की आयु होने तक लाभार्थी को लाभ दिया जाता है। लेकिन जिस लाभार्थी की केवल बेटियां हैं, बेटी की आयु 25 वर्ष होने पर, या नौकरी मिलने या शादी करने पर भी उसे लाभ मिलता रहता है।

पात्र निकष

- 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में विकलांग व्यक्ति, 80 % और अधिक विकलांगता जिसे जिल्हा शल्यचिकित्सालय ने प्रमाणित किया हो/, गंभीर रुप से बीमार व्यक्ति/ 18 से 65 वर्ष की विधवा औरत/ घटस्फोटित / परित्यक्ता/ उत्पीड़ित/ व्यावसायिक यौनकर्मि / आत्महत्या करने वाले किसान के कुटुम्बीय/ तृतीयपंथी
- जिनकी कौटुम्बिक वार्षिक आय रु. 21,000/- से कम है,
- 18 से कम उम्र अनाथ/विकलांग बच्चे (40% से अधिक विकलांगत्व) जिनकी कौटुम्बिक वार्षिक आय रु. 50,000/- तक है
- लगातार 15 वर्षों तक महाराष्ट्र राज्य के निवासी
- जो व्यक्ति सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ उठा रहा है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थीयों की उम्र 65 वर्ष होने के बाद उन्हें श्रावणबाल योजना अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में निकषों की पूर्ती के अधीन समाविष्ट किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़:

- निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र
- राशन कार्ड
- मतदाता कार्ड
- आय प्रमाण

- आवेदक का आयु प्रमाण
- आवेदक के बच्चों का आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- तलाथी पंचनामा
- स्व घोषणापत्र
- फोटो
- विधवा लाभार्थी के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता / गंभीर बीमारी के मामले में जिला सर्जन से विकलांगता का प्रमाण
- एकल महिला के लिए शपथ पत्र
- परित्यक्ता/ अत्याचारग्रस्त महिला के लिए पुलिस/ कोर्ट केस के कागजाद
- महाराष्ट्र राज्य के जिस तहसील से आवेदन किया जा रहा है, उस तहसील में 15 वर्ष तक निवास का प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करे

इस योजना के पात्र लाभार्थी निर्धारित प्रारूप में संजय गांधी योजना विभाग, तहसील कार्यालय में नि:शुल्क आवेदन करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

	सफेद	नारंगी NPH	नारंगी PHH	पीला	अन्नपूर्णा
किस को कौन सा कार्ड मिलता है?	1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाला परिवार	वार्षिक आय 59000/- रुपये (Rs. 59,000/-) से 1 लाख रुपये के बीच है ऐसा परिवार	59000/- रुपये (Rs. 59,000/-) से कम वार्षिक आय वाला परिवार	15,000/- रुपये (Rs. 15,000/-) तक वार्षिक आय वाले परिवार अंत्योदय खाद्य योजना: अकेले रहने वाली विधवाएँ, विकलांग, मानसिक रूप से बीमार, सभी आदिम जनजातियों के परिवार, कचरा बीनने वाले	65 और अधिक वर्ष की निराधार व्यक्ति जिन्हें किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है
योजना का लाभ					
गेहू	-	-	3 किलो प्रति व्यक्ति रु.2/- प्रति किलो	20 किलो 2 रुपये प्रति किलो	5 किलो मुफ्त
चावल	-	-	2 किलो प्रति व्यक्ति रु.3/- प्रति किलो	15 किलो 3 रुपये प्रति किलो की दर से	5 किलो मुफ्त
चीनी	-	-	-	किलो प्रति व्यक्ति रु.13.50/- प्रति किलो	500 ग्राम प्रति व्यक्ति रु.13.50/- प्रति किलो

अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। आंतरिक मात्रा भिन्न हो सकती है। (उदाहरण के लिए 20 किलो गेहूं के बजाय 15 किलो और चावल के 15 किलो के बजाय 20 किलो)। अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। आंतरिक मात्रा भिन्न हो सकती है। (जैसे गेहूँ 5 किलो के बजाय 2 किलो और चावल 5 किलो के बजाय 8 किलो)

भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी गयी Mera Ration App यह नई एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से भी आप अपना राशन का लाभ जान सकते हैं।

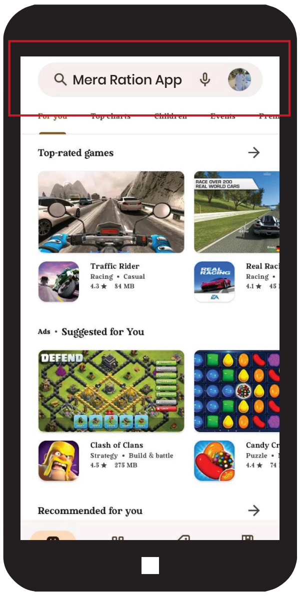

1. अपने एंड्राइड मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर में मेरा राशन दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करें।

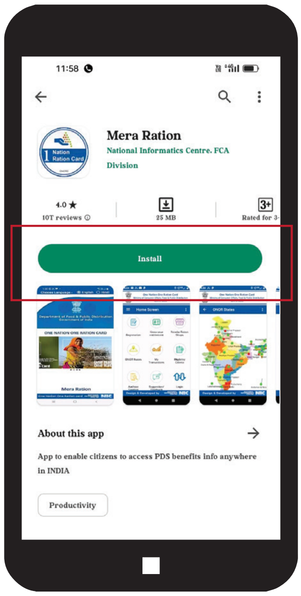

2. मेरा राशन ऐप पर क्लिक कर के डाउनलोड बटन दबाएं और ऐप को डाउनलोड कर ले।

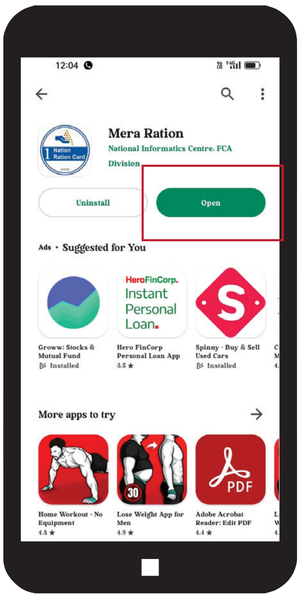

3. माय राशन ऐप खोलें

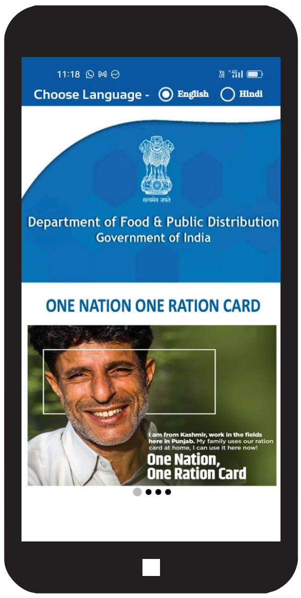

4. इंस्टॉल हुए ऐप को खोलें और अपनी राशन कार्ड की जानकारी से खुद को पंजीकृत करें।

http://mahafood.gov.in वेबसाइट की मदद से भी आप जान सकते है के आपको कितना राशन मिलना चाहिए।

1 अपने मोबाइल पर गूगल पर जाकर टाइप करें

http://mahafood.gov.in

2 ऑनलाइन उचित दर पर क्लिक करें।

3 aepds सब जिले पर क्लिक करें

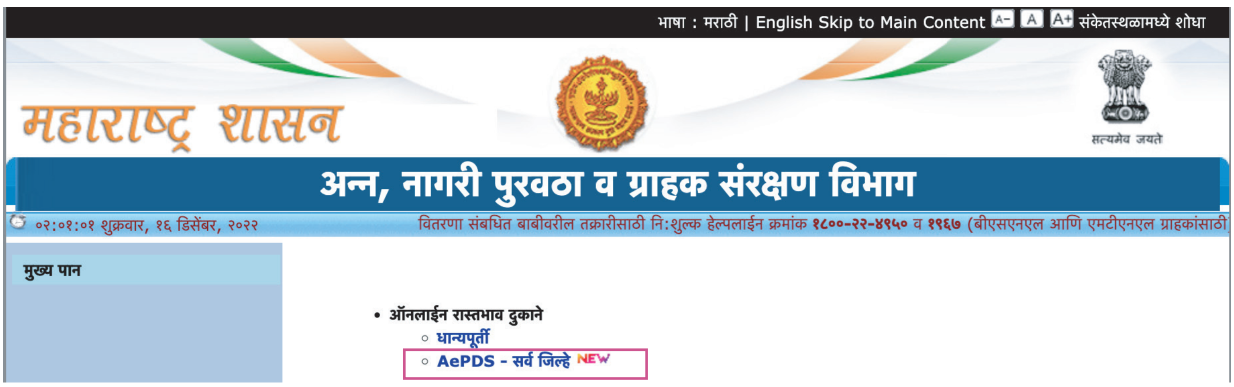

4 RC Details पर क्लिक करें।

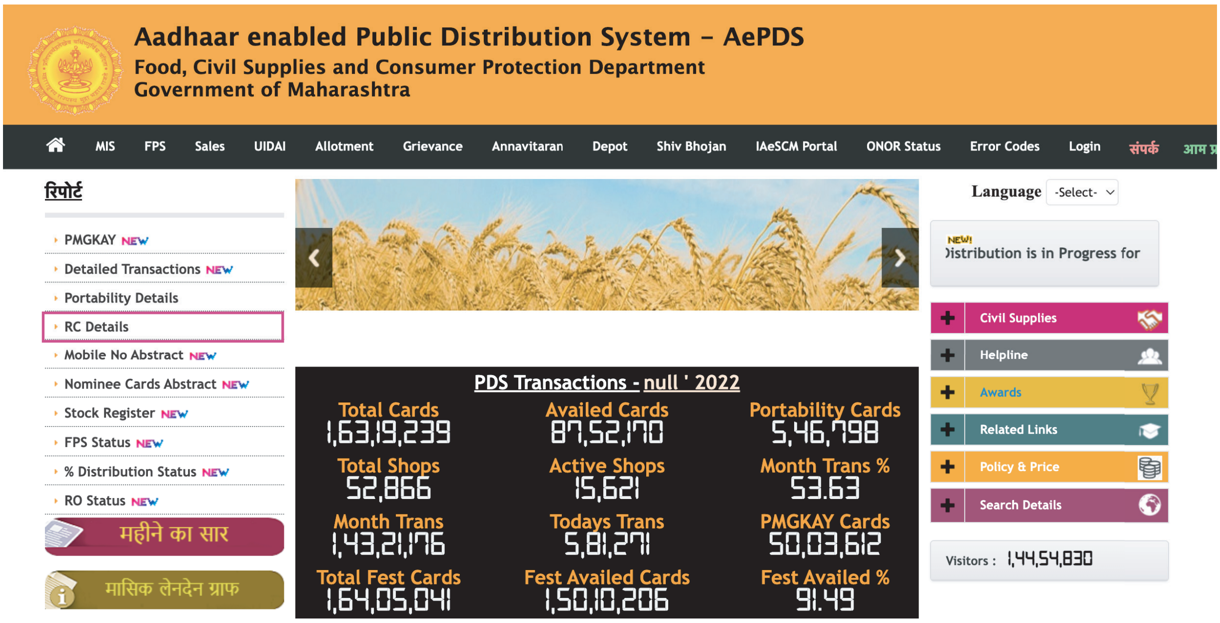

5 अपना राशन कार्ड नंबर डालकर सब्मिट करें।

Mahafood. gov.in वेबसाइट की मदद से आप राशन सम्बंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

1 अपने मोबाइल पर गूगल पर जाकर टाइप करें

http://mahafood.gov.in

2 कृपया ऑनलाइन सेवा बॉक्स से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को सेलेक्ट करें।

3 स्क्रीन पर ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के लिए वेबपेज दिखाएगा। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

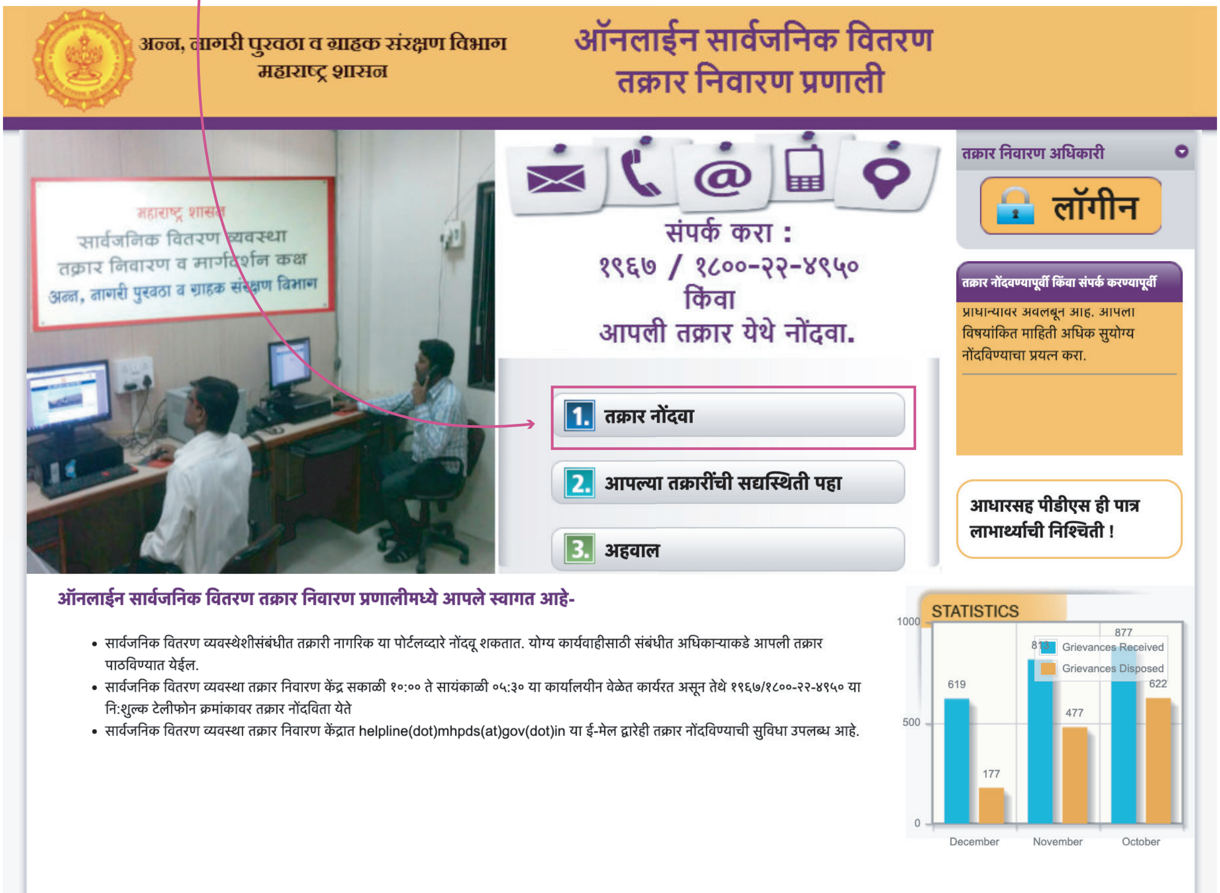

4 कृपया फॉर्म भरें और शिकायत सबमिट करें।

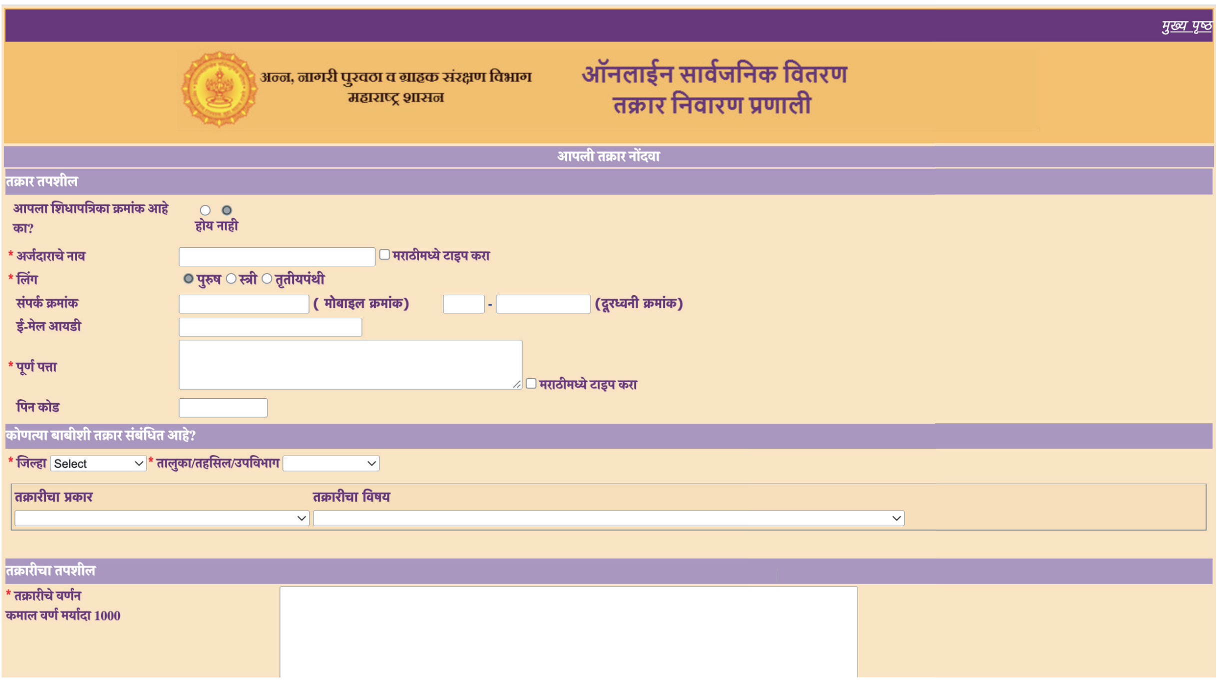

आपके मोबाईल स्क्रीन पर आपके राशन कार्ड की जानकारी, आपको मिलनेवाले अनाज की जान करी और ये अनाज किसका अंगूठा ले कर दिया गया है इसकी पिछले एक साल की जानकारी दिखाई देगी|

- राशन की दुकान में लगे हुए सूचना बोर्ड पर दुकान के समय, छुट्टी का दिन, दुकान नंबर, शिकायत पुस्तिका की उपलब्धता का रिकॉर्ड, तहसीलदार/ राशन कार्यालय का पता और फोन, राशन कार्ड नंबर आदि जानकारी होना जरूरी हैं।
- हप्तेवार छुट्टी के अलावा राशन की दुकान सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे खुली होनी चाहिए।
- दुकान में अनाज के नमूनों को केवल सील किये हुए प्लास्टिक बैग में रखा जाना चाहिए।
- राशन की वस्तुओं की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए | यह रसीद केवल मराठी में लिखी है। रसीद में राशन की दुकान का नंबर होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक दिन में केवल एक रसींद ही फाड़ी जा सकती है।
- हम राशन पर जितनी चाहे उतनी वस्तुएँ ले सकते हैं। दुकानदार यह नहीं कह सकता कि उसे दुकान से अनाज या अन्य सामान लिए बिना केरोसिन नहीं मिलेगा।
- दुकानदार को राशन कार्ड रखने या उसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
- यदि बीपीएल और अंत्योदय अनाज पिछले महीने नहीं लिया गया हैं, तो अगले एक महीने में भी लिया जा सकता हैं।
- दुकानदार को राशन कार्ड अपने पास रखने का या उसे खारिज करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
- राशन दुकान में एक शिकायत पुस्तिका होती है जिस के सभी पृष्ठों में पृष्ठ क्रमांक और तहसीलदार/राशन अधिकारी की मोहर होती है। इस शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत और अपना पूरा पता लिख कर हस्ताक्षर करें। यदि आप नहीं लिख सकते हैं,तो किसी और को लिखने के लिए कहें, और उस पर आप के अंगूठे का निशान लगाएँ | तहसीलदार/राशन अधिकारी से लिखित शिकायत का समाधान नहीं किया गया, तो राशन व्यवस्था के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करें | यदि कोई अधिकारी राशन कार्ड के काम में रिशवत मांगता है,तो रिशवतखोरअधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है| राशनिंग संबंधित शिकायत http://mahafood.gov.in/website/marathi/home.aspx इस वेबसाइट से ऑनलाइन भी की जा सकती है|

ऑफिशिअल वेबसाइट	http://mahafood.gov.in
टोल फ्री हेल्पलाइन	1800 22 4950 /1967
मुंबई और ठाणे के लिए शासकीय संपर्क	022-22852814
राशन कृति समिति हेल्पलाइन	9136804759

सुकन्या समृद्धि योजना

उद्देश्य : सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक निधि बनाने में सक्षम बनाती है।

योजना के लाभ

- अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में इस योजना से उच्च निश्चित ब्याज दर प्रति वर्ष मिलता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सरकार उस वर्ष के लिए लागू ब्याज दर की घोषणा करती है, जबकि आपके निवेश पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है।
- इस योजना के अंतर्गत धारा 80 सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक कर बचत लाभ मिलता है।
- दो सौ पचास रुपये की न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि के साथ खाता खोला जा सकता है और उसके बाद पचास रुपये के गुणकों में इसमें राशि जमा की जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हो।
- यह योजना वार्षिक चक्रवृद्धि का लाभ प्रदान करती है।
- सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन करने वाले माता-पिता/अभिभावक के स्थानांतरण के मामले में इस खाते को देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक/डाकघर में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।

पात्र निकष

- केवल बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार के लिए केवल दो SSY खातों की अनुमति है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या यदि पहले तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता है।
- खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में रकम जमा की जा सकती है।
- इस योजना का कार्यकाल 21 वर्ष के होने तक चल सकता है। जब से खाता खोला गया है तब से लेकर 21 वर्ष के होने तक इसमे जमा किए गए सारे रुपये खाता धारक को ब्याज सहित दे दिए जाते है। यदि कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और कन्या का विवाह किया जा रहा है तो यह खाता इसके समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है।
- विकट परिस्थिती जैसे कन्या की मृत्यु अथवा किसी प्राण घातक समस्या में अकाउंट बंद करने अथवा समय से पूर्व पैसा निकलने की अनुमति हैं . जिसके लिए प्रमाण देना आवश्यक हैं।

- खाताधारक के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जो भी पहले हो, खाताधारक की शिक्षा के उद्देश्य के लिए खाते में जमा राशि की पचास प्रतिशत तक की राशि की निकासी की अनुमति दी जाएगी।

आवेदन कैसे करे

1. आप अपने नजदीकी डाकघर, सार्वजनिक या प्राइवेट बैंकों के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं।
2. आपको केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, आवश्यक फॉर्म और चेक/ड्राफ्ट द्वारा प्रारंभिक रक़म जमा करने की आवश्यकता होगी।
3. सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन पत्र डाकघर, सार्वजनिक बैंक (एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, आदि) या इस योजनामें सहभागि प्राइवेट बैंक से (जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक) प्राप्त किया जा सकता है।

ऑफिशिअल वेबसाइट

Sukanya Samriddhi Yojna| National Portal of India

https://www.india.gov.in/sukanya-samriddhi-yojna

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

SNEHA
RAISING HEALTH FOR ALL

SNEHA (Society for Nutrition Education and Health Action)

Behind Building No. 11, BMC Colony, Linking Road Extension,
Shastri Nagar, Santacruz West, Mumbai 400 054, India
Tel: (022) 2661 4488 / 76 **Email:** sneha.sphelpdesk@snehamumbai.org
snehamumbai.org